जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

53/2018

A3/1

विविध बैंक प्रकरण सं0 53/2018 (RCMS 2018/00104) पंजाब नेशनल बैंक, शाखा–मीरा चौक, जिला श्रीगंगानगर जरिए श्रीमति सूची गुप्ता शाखा प्रबन्धक एवं प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक, मीरा चौक शाखा, श्रीगंगानगर बनाम 1. श्रीमति सुरेन्द्र कौर पत्नि श्री मनजीत सिह निवासी मकान नं 202, गली नं 11, इन्दिरा कॉलोनी, जिला श्रीगंगानगर (राज.) 2. श्री मनजीत सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह निवासी मकान नं 202, गली नं 11, इन्दिरा कॉलोनी, जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

31.07.2018

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता उपस्थित। बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अभिभाषक श्री भारत भूषण महेन्द्रा का कथन था कि उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा श्रीमती सुरेन्द्र कौर एवं श्री मनजीत सिंह को ऋण सुविधा के रूप में ऋण 20,00,000/–रूपये (अखरे रूपये बीस लाख़ मात्र) दिनांक 07.03.2013 को स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी श्रीमति सुरेन्द्र कौर की सम्पत्ति रिहायशी सम्पत्ति **प्लॉट नं 202** (दक्षिण दिशा की ओर खुलता हुआ) मुरब्बा नम्बर 91/38, किला नं . 10, चक 2 ई छोटी, इन्दिरा कॉलोनी, गली नम्बर 11, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 1920 वर्ग फुट) प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण अप्रार्थी का ऋण खाता दिनांक 11.01.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) घोषित कर दिया गया। अप्रार्थीगण ऋणीयों के नाम दिनांक 11.01.2018 को 19,49,275/– रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त है। अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 11.01.18 को बकाया राशि एवं इसके बाद की ब्याज राशि व अन्य खर्चे जमा करवाने का दिया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

बैंक की बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी श्रीमती सुरेन्द्र कौर द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी उक्त अचल सम्पति **प्लॉट नं 202** (दक्षिण दिशा की ओर खुलता हुआ) मुरब्बा नम्बर 91/38, किला नं . 10, चक 2 ई छोटी, इन्दिरा कॉलोनी, गली नम्बर 11, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 1920 वर्ग फुट) में स्थित है, का भौतिक कब्जा पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी श्रीमती सुरेन्द्र कौर एवं श्री मनजीत सिंह को दिनांक 07.03.2013 को ऋण सुविधा के रूप में 20,00,000/– (अखरे रूपये बीस लाख रूपये) की ऋण स्वीकृति प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी सुरेन्द्र कौर द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति रिहायशी **प्लॉट नं 202** (दक्षिण दिशा की ओर खुलता हुआ) मुरब्बा नम्बर 91/38, किला नं . 10, चक 2 ई छोटी, इन्दिरा कॉलोनी, गली नम्बर 11, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 1920 वर्ग फुट) में स्थित है, जो की प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्रों के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 11.01.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 11.01.2018 को डाक द्वारा भिजवाये गये, **जिसकी पुष्टि पोस्ट ऑफिस के आईटम डिलीवरी की ऑन लाईन रिपोर्ट (Track Consignment) से होती है।** नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की बकाया राशि जमा नही करवाई गई है और न ही नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

53/2018 A 3/3

चूंकि धारा 13(2) के जारी नोटिस की तामील के बावजूद भी प्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक की समस्त बकाया राशि अब तक जमा नहीं करवाई गई है। इसलिए ऋणी की सुरक्षा की एवज उक्त ऋणी जमानतदार की बंधक रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश चाहे है।

चूंकि ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गयी अचल सम्पति **प्लॉट नं 202** (दक्षिण दिशा की ओर खुलता हुआ) मुरब्बा नम्बर 91/38, किला नं . 10, चक 2 ई छोटी, इन्दिरा कॉलोनी, गली नम्बर 11, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 1920 वर्ग फुट) में स्थित है जो ऋणी सुरेन्द्र कौर के नाम से है और जो की प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है। उक्त सम्पत्ती जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा कब्जा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार में स्थित है, जिसके सम्बन्ध में निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्यवाही करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 11.01.2018 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 11.01.2018 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने के धारा 13(2) के जारी रजिस्टर्ड नोटिस अप्रार्थीगण श्रीमती सुरेन्द्र कौर एवं श्री मनजीत सिंह को प्राप्त हो चुके है, **जिसकी पुष्टि पोस्ट ऑफिस के आईटम डिलीवरी की ऑन लाईन रिपोर्ट (Track Consignment) से होती है।** इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक की समस्त ऋण राशि को जमा नहीं करवाया गया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में उक्त बंधक सम्पत्तियों को प्रार्थी बैंक का भौतिक कब्जा को दिलाया जाना उचित होगा।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

53 जिला कलैक्टर
2018 श्रीगंगानगर

अतः प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 30.05.2018 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी एवं गारंटर द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई अचल सम्पत्ति **प्लॉट नं 202** (दक्षिण दिशा की ओर खुलता हुआ) मुरब्बा नम्बर 91/38, किला नं . 10, चक 2 ई छोटी, इन्दिरा कॉलोनी, गली नम्बर 11, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 1920 वर्ग फुट) जो कि ऋणी श्रीमती सुरेन्द्र कौर के नाम से है, **का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पत्तियों का कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 31.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञानाराम)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर